फार्म – ए

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

उपस्थित– कुमार अमित मनु, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह–
विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/जनजाति अनुसुचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका

निर्णय की तिथि – 23.04.2026
जी.आर. वाद संख्या – 77/25
प्राथमिकी संख्या – 08/25

धारा अंतर्गत : 115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

थाना – **अनुसुचित जाति /जानजाति थाना, बांका**

सूचक	शेखर दास, पिता कैलाश दास, ग्राम कंदुवार, थाना आनंदपुर, जिला बांका
अभियोजन की तरफ से विद्वान अधिवक्ता	श्री शंकर नुतन लाल (विशेष लोक अभियोजक)
अभियुक्त	1. **कुणाल सिंह उर्फ समरजीत सिंह** पिता संजय सिंह, ग्राम केंदुवार, थाना अमरपुर, जिला बांका, उम्र लगभग 25 वर्ष। 2. **रजनीश आंनद उर्फ गोलु सिंह**, पिता डुलो सिंह, ग्राम केंदुवार, थाना अमरपुर, जिला बांका, उम्र लगभग 21 वर्ष। 3. **प्रभात संगम उर्फ टुटु सिंह**, पिता पिंटु सिंह, ग्राम केंदुवार, थाना अमरपुर, जिला बांका, उम्र लगभग 20 वर्ष। 4. **प्रशांत सिंह उर्फ प्रशांत सागर**, पिता पिंटु सिंह, ग्राम केंदुवार, थाना अमरपुर, जिला बांका, उम्र लगभग 21 वर्ष।
अभियक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री संजय कुमार सिंह (विद्वान अधिवक्ता)

फार्म – बी

अपराध की तिथि	28-03-2025
प्राथमिकी की तिथि	08-04-2025
अंतिम प्रपत्र की तिथि	05-05-2025
आरोप गठन की तिथि	18-11-2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	12-01-2026
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	10-04-2026
निर्णय की तिथि	23-04-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	N.A.

न्यायालय – श्री कुमार अमित मनु
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसुचित
जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बांका (बिहार)
जी.आर. वाद संख्या –77/25
बिहार सरकार वनाम कुणाल सिंह उर्फ़ समरजीत सिंह एवं अन्य

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी /आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोड़ने की तिथि	आरोपित धारा	अभियुक्तों की दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दी गई सजा/ दंडादेश	धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.)के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान भुगती गई हिरासत की अवधि
1	**कुणाल सिंह उर्फ समरजीत सिंह**			115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोषमुक्ति	N.A	
2	**रजनीश आंनद उर्फ गोलु सिंह**			115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोषमुक्ति	N.A	
3	**प्रभात संगम उर्फ टुटु सिंह**			115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोषमुक्ति	N.A	
4	**प्रशांत सिंह उर्फ प्रशांत सागर**			115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम एवं 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	दोषमुक्ति	N.A	

फार्म – सी

अभियोजन/प्रतिरक्षापक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्ष्य

क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	शेखर कुमार दास	सूचक
02.	मंजु देवी	अन्य
03.	नितीश कुमार	पक्षद्रोही
04.	आलोक कुमार उर्फ गोलु कुमारी	पक्षद्रोही

क. प्रतिरक्ष साक्ष्य, यदि हो,

क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

स. न्यायालय साक्षी, यदि हो

क्रम सं0	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
Nil	Nil	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ. अभियेाजन

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श – 1	प्राथमिकी पर सूचक का हस्ताक्षर

ब. प्रतिरक्षा प्रदर्श –

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	Nil

स. न्यायालय प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

द. वस्तु प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श	विवरण
1	Nil	

निर्णय

1. इस वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) of BNS & 3(i)(r)(s), 3(2)(va) SC ST (POA) Act के अन्तर्गत आरोप गठित कर विचारण किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन का वाद यह है कि सूचक शेखर दास ने एक टंकीत आवेदन थानाध्यक्ष अनुसुचित जाति/जनजाति थाना को इस आशय का दिया है कि दिनांक 28.03.2025 को वे अपने मजदुरो को मजदुरी पंचायत भवन के कुॅआ पर बैठकर दे रहें थे तो शाम 6 बजे कुनाल सिंह, गोलू सिंह, टुटु सिंह, पिंटु सिंह का दुसरा बेटा एवं एक अज्ञात व्यक्ति सभी आये तथा सभी गाली देते हुये कहे कि साल मादर चोद चमार कुॅआ के मुंडेर पर बैठा है और कुॅआ को छुता दिया, कुनाल सिंह बोला चमार को मारो इतना कहते ही सभी व्यक्ति मिलकर लात–मुक्का, डंटा मारने लगे, गोलु सिंह ने मुॅह पर मारा जिससे वह जख्मी हो गये, हल्ला पर उनकी मॉ बचाने आयी तो उनके गले से 3 भर का चेन कुनाल सिंह ने छीन लिया और धमकी देते चले गये ।
3. सूचक के टंकीत आवेदन के आधार पर अनुसुचित जाति/जनजाति थाना काण्ड संख्या 08/25 दिनांक 08.04.2025 को दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया।
4. दिनांक 19.05.2025 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 352(2), 352, 3(5) of BNS & 3(i)(r)(s)/3(2)(va) SC ST (POA) Act के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।
5. दिनांक 18.11.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 1115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) of BNS & 3(i)(r)(s), 3(2)(va) SC ST (POA) Act के अन्तर्गत आरोप गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया समझाया गया, सुन समझ कर अभियुक्त ने आरोप शिर्ष से इन्कार कर वाद विचारण का दावा किया।
6. अभियोजन की ओर से विचारण के क्रम में 04 साक्षी प्रस्तुत किया गया है अ0सा0सं0–01 शेखर कुमार दास, अ0सा0सं0 –02 मंजु देवी, अ0सा0सं0 – 03 नितीश कुमार एवं अ0सा0सं0 – 04 आलोक कुमार उर्फ गोलु कुमार का परिक्षण कराया गया।
7. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी पर सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्श –1 साबित कराया गया है।
8. अभियोजन का साक्ष्य बन्द होने के पश्चात अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अधिरोपित आरोप से इन्कार करते हुये स्वंय को निर्दोष

कहा है।

9. बचाव पक्ष की ओर से ना तो किसी का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

10. अब न्यायालय के समक्ष निर्णय के बिन्दु पर विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करते में सफल रहा है?

मंतव्य

11. अ0सा0सं0 – 03 नितीश कुमार एवं अ0सा0सं0 – 04 आलोक कुमार उर्फ गोलु कुमार को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन के द्वारा साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कराया गया परन्तु इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जिससे अभियोजन वाद को बल मिल सके।

12. साक्षी 01 शेखर कुमार दास (सूचक) कंडिका 1 यह घटना 5–6 माह पूर्व की है। 6 बजे शाम का समय था। उस समय मैं कुॅआ पर बैठ कर मजदुर लोगों का हिसाब कर रहें थे। कुणाल सिंह, गोलु सिंह, टुटु सिंह कुल 4 लोग आये और मेरे साथ गाली–गलौज किया चमार बोला और मारपीट किया। लप्पड–थप्पड और लाठी डंडा से मारा। कंडिका 2 कुणाल कुमार सिंह डंडा से मारा और गोलु हमको पकड रखा था। टुटु सिंह ने फैट और हाथ से मुॅह पर मारा, जिससे मुॅह जख्मी हो गया। कंडिका 3 मम्मी बाद में बचाने आयी तो उसके साथ भी कुणाल सिंह मारपीट किया। कंडिका 4 थाना में टंकीत आवेदन दिये जिस पर मेरा हस्ताक्षर है पहचानते है जिसे प्रदर्श –1 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 6 चारो अभियुक्त मेरे ही गांव के है। कुॅआ पर जहॉ हम बैठे थे काफी भीड था। उसी भीड में हमको कौन मारपीट किया और कौन गाली दिया नहीं देख सके। कंडिका 7 उभय पक्षों में सुलह हो गया है। किसी ने जातिगत रूप से अपमानीत नहीं किया था। किसी ने मुझे डराया धमकाया नहीं है।

साक्षी 02 मंजु देवी (सूचक की मॉ) कंडिका 1 यह घटना 7–8 महिना पूर्व की है। 6 बजे शाम का समय था। मैं घर में रोटी बना रही थी। कुनाल सिंह, टिटु सिंह, गोलु सिंह और कुनाल सिंह आये और लडाई झगडा किया। जब दुसरा व्यक्ति हमको सूचना दिया तब हम वहॉ

गये तो मारपीट खत्म हो गया था। कंडिका 2 हमको भी लप्पड–थप्पड किया था।

प्रतिपरीक्षण कंडिका 04 यह घटना पंचायत भवन, बगल में कुॅआ के पास हुआ था। वहॉ से मेरा घर 1 किलोमीटर की दुरी पर है। उस समय हम घर पर रोटी बना रही थी। घर पर आकर दुसरा व्यक्ति ने बताया कि मेरा लडका के साथ झगडा हुआ है। जब वहॉ पहुॅचे तो काफी भीड जमा था। मेरे साथ किसने धक्का–मुक्कि, लप्पड–थप्पड किया नहीं कह सकते है। कंडिका 6 राजी–खुशी से अभियुक्तों से मेल मिलाप कर लिये है। मेल मिलाप अनुमति आवेदन पर मेरा लडका हस्ताक्षर किया था। आगे मुकदमा लडना नहीं चाहते है। अभियुक्तों से सबंध अच्छा है। कंडिका 7 केस समाप्ति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित अभियुक्तगण ग्रामीण है इसलिए पहचानते है।

13. इस वाद में धारा 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति /जनजाति अधिनियम के अंतर्गत गठित आरोप का प्रश्न है परन्तु साक्षी 01 शेखर कुमार दास है जो इस वाद के सूचक है ने अपने मुख्य परिक्षण में अभियोजन वाद का समर्थन करते हुये अभिकथित किया है कि 4 लोग आये और मेरे साथ गाली–गलौज किया चमार बोला और मारपीट किया। परन्तु अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि हमको कौन मारपीट किया और कौन गाली दिया नहीं देख सके। कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि किसी ने जातिगत रूप से अपमानीत नहीं किया था। अ0सा0सं0 2 मंजु देवी ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण के कंडिका 1 में अभिकथित किया है कि हमको सूचना दिये तब हम वहॉ गये वहॉ गये तो मारपीट खत्म हो गया था। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि जब वहॉ पहुॅचे तो काफी भीड जमा था। मेरे साथ किसने धक्का–मुक्की लप्पड–थप्पड किया नहीं कह सकते है। कंडिका 6 में राजी–खुशी से अभियुक्तों से मेल मिलाप कर लिये है। आगे कहे है कि आगे केस लडना नहीं चाहते है और अभियुक्तों से संबंध अच्छा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता कि सूचक के साक्ष्य में विरोधाभाष है एवं अन्य साक्षी घटना के बाद आये है इन्होने घटना घटीत होते अपनी ऑखो से नहीं देखा है तथा उपस्थित अन्य किसी साक्षी के द्वारा अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया गया है किसी साक्षी के द्वारा यह अभिकथीत नहीं किया गया है कि अभियुक्तों द्वारा सूचक को जान बुझकर अपमानीत करने

हेतु सार्वजनीक स्थल पर गाली–गलौज किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी ने भी अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है इससे यह स्पष्ट हो सके कि सूचक को किसी ने जाति सूचक गाली देकर अपमानीत किया हो जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन 3(i)(r)(s), 3(2)(va) SC ST Act के अंतर्गत लगे आरोपों को साबित करने में असफल रहा है।

14. अभिलेख कें अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद में धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5) बी0एन0एस0 के तहत आरोप गठित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा स्वेच्छा से उपहति करने एवं गलत तरीके से रोकने के संबधं मे अपराध से संबंधित है अभियोजन साक्षी सं0 1 ने अपने मुख्य परिक्षण में कहा है कि कुणाल सिंह, गोलु सिंह, टुटु सिंह कुल चार मुदालय आये मेरे साथ गाली–गलौज किया चमार बोला और मारपीट किया। लप्पड थप्पड और लाठी डंडा से मारा। कुणाल कुमार सिंह डंडा से मारा और गोलु हमको पकड रखा था। टुटु सिंह ने फैट से और हाथ से मुॅह पर मारा जिससे मुॅह जख्मी हो गया। मम्मी बाद में बचाने आयी तो उसके साथ भी कुणाल सिंह ने मारपीट किया। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कुॅआ पर बैठे थे काफी भीड था। उसी भीड में हमको कौन मारपीट किया और कौन गाली दिया नहीं देख सके आगे स्वीकार किया है कि उभय पक्षों में सुलह हो गया है। साक्षी संख्या 2 ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में अभिकथति किया है कि मै घर पर रोटी बना रही थी। जब दुसरा व्यक्ति हमको सूचना दिये तब हम वहॉ गये तो मारपीट खत्म हो गया था। हमको भी लप्पड–थप्पड किया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वहॉ से मेरा घर 1 किलोमीटर की दुरी पर है। उस समय हम घर पर रोटी बना रही थी। जब वहॉ पहुॅचे तो काफी भीड जमा था। मेरे साथ किसने धक्का–मुक्की, लप्पड–थप्पड किया नहीं कह सकते है। राजी–खुशी से अभियुक्तों से मेल–मिलाप कर लिये है। आगे मुकदमा नहीं लडना चाहते है। अभियुक्तों से संबंध अच्छा है। केस समाप्ति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित अभियुक्तगण ग्रामीण है इसलिए पहचानते है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि 11.08.2025 को संयुक्त सुलहनामा भी उभय पक्षों के द्वारा दाखील किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुॅचती है कि अभियोजन 115(2)/3(5), 126(2)/3(5) बी0एन0एस0 के आरोपित आरोप को साबित करने में विफल रही है।

इस वाद में 351(2)/3(5), 352(2)/3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है अभियोजन साक्षी सं0 1 ने अपने मुख्य परिक्षण में कहा है कि कुणाल सिंह, गोलु सिंह, टुटु सिंह कुल चार मुदालय आये मेरे साथ गाली–गलौज किया चमार बोला और मारपीट किया। लप्पड थप्पड और लाठी डंडा से मारा। कुणाल कुमार सिंह डंडा से मारा और गोलु हमको पकड रखा था। टुटु सिंह ने फैट से और हाथ से मुॅह पर मारा जिससे मुॅह जख्मी हो गया। मम्मी बाद में बचाने आयी तो उसके साथ भी कुणाल सिंह ने मारपीट किया। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कुॅआ पर बैठे थे काफी भीड था। उसी भीड में हमको कौन मारपीट किया और कौन गाली दिया नहीं देख सके आगे स्वीकार किया है कि उभय पक्षों में सुलह हो गया है। साक्षी संख्या 2 ने अपने अभिसाक्ष्य के मुख्य परिक्षण में अभिकथति किया है कि मै। घर पर रोटी बना रही थी। जब दुसरा व्यक्ति हमको सूचना दिये तब हम वहॉ गये तो मारपीट खत्म हो गया था। हमको भी लप्पड–थप्पड किया था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वहॉ से मेरा घर 1 किलोमीटर की दुरी पर है। उस समय हम घर पर रोटी बना रही थी। जब वहॉ पहुॅचे तो काफी भीड जमा था। मेरे साथ किसने धक्का–मुक्की, लप्पड–थप्पड किया नहीं कह सकते है। राजी–खुशी से अभियुक्तों से मेल–मिलाप कर लिये है। आगे मुकदमा नहीं लडना चाहते है। अभियुक्तों से संबंध अच्छा है। केस समाप्ति में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित अभियुक्तगण ग्रामीण है इसलिए पहचानते है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसको किस व्यक्ति ने सूचना दिया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि 11.08.2025 को संयुक्त सुलहनामा भी उभय पक्षों के द्वारा दाखील किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुॅचती है कि यह धाराये सुलहनीय है एवं अभियोजन 351(2)/3(5), 352(2)/3(5) बी0एन0एस0 के आरोपित आरोप को साबित करने में विफल रही है।

समस्त अभिलेख के अवलोकन, साक्षी का साक्ष्य एवं उभय पक्षों के बहस से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया है तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य एवं तथ्य मौजुद नहीं है जो कि आरोपित धाराओं के अंतर्गत हुए अपराधों को साबित कर सके। उपर्युक्त विशलेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगे आरोपो को सारे संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार प्रशांत सिंह उर्फ प्रशांत सागर, कुणाल सिंह उर्फ समरजीत सिंह, गोलु सिंह उर्फ रजनीश आनंद एवं प्रभात संगम उर्फ टुटु सिंह को धारा 115(2)/3(5), 126(2)/3(5), 352/3(5), 351(2)/3(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम एव 3(i)(r)(s), 3(2)(va) अनुसुचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोष मुक्त करते हुये उन्हें बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित तथा खुले न्यायालय में उभयपक्षों के उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, बांका
दिनांक 23.04.2026

अपर सत्र न्यायाधीश
प्रथम, बांका
दिनांक 23.04.2026